नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

लल्लूराम बनाम सरकार

केस संख्या 11/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		बाद आदेश हेतु दिनांक 25/9/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	25/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, तहसीलदार जवाब, साक्ष्य शपथ पत्रों एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तथा वकील वादी की बहस को मनन किया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का. काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
11/2024	23/01/2024	24.09.2024

1. लल्लूराम पुत्र प्रभात आयु 70 साल जाति कुम्हार निवासी ग्राम दादीयापटटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.2300है0 ग्राम हुरेला में वादी का हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 135/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 139/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 141/8 रकबा 0.7800है0 ग्राम दादियापटटी में वादी का हिस्सा सम्पूर्ण स्थित है। जिसमें सहवन से वादी का नाम लालाराम अंकित है। जबकि वास्तविकता में वादी का नाम लल्लूराम है जो पूर्णतः सत्य एवं सही है। सहवन से वादी के नाम नामान्तकरण खोला गया तो उसमें वादी का नाम लालाराम अंकित कर दिया गया। सहवन से वादी का नाम लालाराम लिखा गया है। जो पूर्णतः गलत एवं असत्य है। वादी का नाम लल्लूराम है तो पूर्णतः सत्य एवं सही है। वादी का वास्तविक नाम लल्लूराम पुत्र प्रभत है वादी के राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड में वादी का नाम लल्लूराम पुत्र प्रभात अंकित है। जो पूर्णतः सत्य एवं सही है जबकि ग्राम हुरेला व दादियापटटी के मद सं0 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालाराम पुत्र प्रभात दर्ज हैं जो कि गलत है। वादी का वास्तविकता में नाम लल्लूराम पुत्र प्रभात जो पूर्णतः सत्य एवं सही है। अतः उक्त वर्णित आराजियांत खसरा नम्बर 197 रकबा 0.2300है0 ग्राम हुरेला में वादी का हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 135/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 139/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 141/8 रकबा 0.7800है0 ग्राम दादियापटटी तहसील आंधी जिला जयपुर में वादी का नाम लालाराम पुत्र प्रभात को दुरूस्त कर लल्लूराम पुत्र प्रभात घोषित किया जाकर अंकित किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/340 दिनांक 24.04.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जो पत्रावली में शामिल है। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने रिपोर्ट में जवाब/रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम हुरेला के खाता सं0 78 के खसरा नम्बर 197 किता 1 रकबा 0.23है0 भूमि में खातेदार लालाराम पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापत) सा0देह खातेदार दर्ज है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर है एवं ग्राम दादियापटटी के खाता सं0 54 के खसरा नम्बर 135/8, 139/8, 141/8 किता 03 रकबा 1.08है0 भूमि में खातेदार लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम हुरेला की गत जमाबन्दी संवत 2065 के खाता सं0 57 के खसरा नम्बर 197 किता 01 रकबा 0.23है0 में खातेदार लाल्या पुत्र प्रभात्या हिस्सा 1/6

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

जाति खुमार सा0देह दर्ज था। शेष जमाबन्दी बदस्तुर एवं ग्राम दादियापटटी की गत जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता सं0 51 के खसरा नम्बर 135/8, 139/8, 141/8 किता 3 रकबा 1.08है0 में खातेदार लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड था। मुताबिक ग्राम हुरेला के नामा0 सं0 412 दिनांक 23.11.2011 (न्यायालय आदेश) से खाता सं0 78 के खसरा नम्बर 197 किता 01 मे लाल्या पुत्र प्रभात्या हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह दर्ज हुआ था एवं ग्राम दादियापटटी के नामा0 सं0 101 दिनांक 23.11.2011 (न्यायालय आदेश) से खाता स 0 54 के खसरा नम्बर 135/8 , 139/8, 141/8 किता 3 में लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह की बजाय लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह दर्ज हुआ था। एवं उक्त नामा0 संख्या 101 दिनांक 23.11.21 से ग्राम दादिया पटटी के खाता सं0 44 के खसरा नम्बर 137/8, 07 किता 2 रकबा 0.09है0 में भी लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह की बजाय लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार दर्ज हुआ था। संलग्न राशन कार्ड सं0 00164 मे लल्लूराम पुत्र प्रभात निवासी दादिया पटटी दर्ज है, जनआधार कार्ड सं0 4736002578 में लल्लू राम प्रजापत दर्ज है, मतदाता दर्ज है। आधार कार्ड सं0 563145531746 में लल्लूराम प्रजापज पुत्र प्रभात निवासी दादिया पटटी अंकित है। ग्राम हुरेला की गत जमाबन्दी संवत 2065–2065 के खाता सं0 57 के खसरा नम्बर 197 किता 01 रकबा 0.23है0 में खातेदार लाल्या पुत्र प्रभात्या हि0 1/6 जाति खुमार सा0देह दर्ज था। शेष जमा बदस्तुर। एवं ग्राम दादिया पटटी की गत जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता सं0 51 के खसरा नम्बर 135/8, 139/8, 141/8 किता 3 रकबा 1.08है0 मे खातेदार लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड था। यह कि मुताबिक ग्राम हुरेला के नामा0 412 दिनांक 23.11.21 (न्यायालय आदेश) से खाता सं0 78 के खसरा नम्बर 197 किता 1 में लाल्या पुत्र प्रभात्या हिस्सा 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) के बज़ाय लालाराम पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह दर्ज हुआ था। एवं ग्राम दादिया पटटी के नामा0 सं0 101 दिनांक 23.11.21 (न्यायालय आदेश) से खाता सं0 54 के खसरा नम्बर 135/8, 139/8, 141/8 किता 3 मे लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह की बजाय लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह की बजाय लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह दर्ज हुआ था एवं उक्त नामा0 सं0 137/8, 07 किता 02 रकबा 0.09है0में भी लाल्या पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह की बजाय लालाराम पुत्र प्रभात हिस्सा 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार दर्ज था। वकील वादी ने साक्ष्यवादी के लिए साक्ष्य शपथ पत्र श्री राजविर सिंह राजावत पुत्र प्रेमसिंह राजावत व श्री बाबूलाल प्रजापत पुत्र नारायण प्रजापत का पेश किया। वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र, तहसीलदार जवाब तथा अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.2300है0 ग्राम हुरेला में एवं खसरा नम्बर 135/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 139/8 रकबा 0.1500है0, खसरा नम्बर 141/8 रकबा 0.7800है0 ग्राम दादियापटटी तहसील आंधी जिला जयपुर में वादी का नाम लालाराम पुत्र प्रभात को दुरूस्त कर लल्लूराम पुत्र प्रभात अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। ख़ातेदारों का हिस्से पूर्वानुसार रहेगा। तदनुसार ड़िकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ